तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली
पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
39 / 2013	2013 / 00084	23.08.2013

1. रामहेती आयु 70 साल पिसरान किशनलाल जातियान माली निवासी
2. श्रीलाल आयु 60 केशपुरा करौली तह0 व जिला करौली राज0

सायलान

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र भौरू आयु 63 साल जाति माली निवासी हनुमानपुरा करौली तहसील करौली जिला करौली।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र धारा 212 .आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 25.02.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायलान व प्रतिवादी न0 2 ता0 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि आराजी खसरा नम्बर 5630 रकवा 3.00 वीधा 0.16 विस्वा कस्वा करौली में स्थित है जिसका साविक खसरा नम्बर 4407 है जो सायलान के पिता किशनलाल पुत्र खुवी व प्रतिवादी न02 ता04 के पितामह गोरधन पुत्र गंगाराम के खातेदारी की रही है, जिसमें सायलान का 1/2 हिस्सा है व गोरधन का 1/2 हिस्सा है सम्बत 2010 से 2013 की जमाबन्दी जीर्णशीर्ण होने के कारण प्रतिलिपि जारी नही की गई है सायलान के पिता के हक में खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खसरा टीप सम्वत 1982 से 1985 मे वतौर खातेदार के मौजूद है जिसकी नकल सायलान ने पेश की है सायलान के पिता को मरे 20 साल हो गये है सायलान भूमि पर प्रतिवादी न02 ता0 4 के साथ पिता के समय से काविज काश्त संयुक्तरूप से है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 मं सायलान के पिता का नाम प्रभु पुत्र हटीला के साथ वतौर कृषक दर्ज है जिससे सायलान के पिता का भूमि कर खातेदार काश्तकार होना साविंत है। गैरसायल का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई खातेदारी काविजाना सम्बन्ध नही है। जिसे सायलान के पिता व पति न0 2 ता0 04 के पिता द्वारा गैरसायल व उसके पिता को कभी रहन वय नही किया गया है ना ही अन्य व्यक्ति को रहन वय किया गया है गैर सायल के पता ने बिना किसी अधिकार के सैटलमेंन्ट कर्मचारियों से साज करके सायलान व सायलान के पिता से छिपाते हुये अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज करा लिये है जो हक हकुक सायलान पर प्रारम्भ से ही शून्य है। जिसे सायलान शून्य धोषित कराने के कानूनन अधिकारी है और गैर सायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान [illegible] गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान न01 ने उपस्थित होकर जवाब [illegible] कथन किया है कि वादग्रस्त जमीन से सायलान व प्रति न02 ता04 मा [illegible] के बुर्जगों के कोई खातेदारी कह हकुक नही रहे है ना है सायलान [illegible] मा इनके बुर्जग विवादित जमीन पर काविज नही रहे है आर.टी.एक्ट लागू होने के वक्त भी इनके कोई हकूक खातेदारी काविजाना नही रहे खसरा गिरदावरी से हकूक खातेदारी प्राप्त नही होने है सम्बत 2010 से 2013 की गिरदावरी से भी सायलान के कोई हकूक नही है दिनांक 20.06.2013 एवं

Scanned with CamScanner

25.06.2013 की कहानी गलत दर्ज की है सायलान का दावा बहुत ही लचर है जवाबदावा गैरसायल आराजी पर वतौर खातेदार काश्तकार काविज है जमीन का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है आराजी गैरसायल के पिता भौरू वाहिद खातेदारी व कब्जे काश्त की है। भौरू के मरने के वाद गैरसायल वाहिद वतौर खातेदार काश्तकार काविज है गिरदावारी रिकार्ड राईटस नही है। खसरा नम्वर 4407 का सम्वत 2012 का कोई दस्तावेज सायलान ने पेश नही के खुलेआम ओपन होस्टाईल एडवर्स रहा है गैरसायल का कब्ला मुश्कल फाना है इसलिए समस्त हक हकूक खातेदारी गैरसायल मं वेस्ट हो चुके है। सायलान के खातेदारी हक हकूक 12 साल से अधिक अर्से से कब्जा नही होने से वाई आपरेशन ऑफ लो0 समाप्त हो गये है। भूमि आवादी के मध्य स्थित है जिसमे अधी से अधिक जमीन में मनानपीयत बन चुकी है तथा कतागण परिवार के निवास करते है भूखण्डो के केतागणको सायलान ने दावा व डर में पक्षकार नही बनाया है जो प्रकरण मं आवश्यक पक्षकार है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विवंचन किया गया। सायलान द्वारा प्रकरण में सम्वत 2015 से पूर्व की काई जमाबन्दी रिकार्ड आफ राईटस पत्रावली में प्रस्तुत नही किया गया है एवं सायलान द्वारा भूमि के भूखण्ड केतागण को प्रकरण मे पक्षकार भी नही बनाया गया भूमि में मन्दानीयत बन चूकी होना गैरसायल के बताया है जिसका कोई खण्डन सायलान द्वारा नही किया है सायलान ने अपने हक में प्राईमाफेसी केस सावित करने के लिए ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे सायलान का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा हो समस्त प्रस्तुत रिकार्ड से भूमि में भूखण्ड तैयार कर विक्रय होना प्रकट है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सायलान चलने योग्य नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में खिलाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner